

झारखण्ड विधान सभा



सत्यमेव जयते

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन)
(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

24 विधेयक ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018
2018 को सभा द्वारा पारित हुआ

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में प्रवृत्त करने हेतु ठेका मजदूर(विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के 69 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :-

- (1) इस अधिनियम का नाम ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड में होगा।
- (3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा-1 का संशोधन, 1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37 :-

ठेका मजदूर(विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37) की धारा-1के उपधारा (4) के वर्तमान प्रावधान को झारखण्ड राज्य में लागू करने के लिए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(4) यह लागू होता है -

(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को जिसमें पचास या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं

या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को जो पचास या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती

बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित किए थे;

यह विधेयक ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

[सभा द्वारा पारित]

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

1. संक्षेप में विधेयक का संक्षेप

- (1) यह विधेयक का नाम ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 का होगा।
- (2) इसका विधेयक संख्या झारखण्ड में होगी।
- (3) यह संसदीय व्यवस्था में अधिसूचना प्रकाशित करने की शक्ति में प्रयुक्त होगा।

2. संक्षेप में विधेयक, 1970 का संशोधन अधिनियम संख्या-37 का

यह संशोधन अधिनियम, 1970 (1970 का संसदीय अधिनियम संख्या-37) को

पारित करने के लिए संसदीय व्यवस्था की आवश्यकता के तहत संसद में प्रेषित किया जाएगा।

परिष्कारित किया जाएगा।

यह लागू होगा।

(क) ऐसे प्रत्येक संसदीय अधिनियम को संसद के द्वारा संसदीय व्यवस्था के तहत संसद में प्रेषित किया

जाएगा और संसद के द्वारा संसदीय व्यवस्था में

(ख) ऐसे प्रत्येक संसदीय अधिनियम को संसद के द्वारा संसदीय व्यवस्था के तहत संसद में प्रेषित किया

जाएगा और संसद के द्वारा संसदीय व्यवस्था में